

प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 28.02.2025

गोतस्करी करने व हत्या का प्रयास करने के आरोप में आरोप में 25 हजार रुपये का इनामिया 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा पशु तस्करी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चिलुआताल के नेतृत्व में 30नि0 लक्ष्मी नारायण द्विवेदी मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 17/19 धारा 307 भादवि व 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित अभियुक्त कुतुबुद्दीन उर्फ अंश को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.01.2019 को थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान PHC मानीराम के पास ट्रक को चेक करने हेतु रोका गया तो अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की नियत से ट्रक को पुलिस टीम पर चढ़ाकर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा उक्त ट्रक का पीछा करते देख अभियुक्तगण ट्रक से उतरकर भागने लगे गये भाग रहे लोगों में से 01 अभियुक्त को 07 राशि गोवंश व घटना में प्रयुक्त ट्रक के साथ गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कुतुबुद्दीन उर्फ अंश पुत्र मो0 हदीश उर्फ मो0 इरसाद निवासी थरौली बुजुर्ग बंजारा टोला मोहनापुर थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 17/19 धारा 307 भादवि व 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. 30नि0 लक्ष्मी नारायण द्विवेदी थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3. 30नि0 विकास यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
4. 30नि0 आकाश जैसवाल थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
5. कां0 उपेन्द्र गौड़ थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
6. कां0 धीरेन्द्र यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर